राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन

विकास खण्ड – सरादरपुर जिला – धार

सफलता की कहानी

बैसाखी बनी सिंलाई

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन, के अंतर्गत सामुदायिक संगठन के कार्यो में महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये संस्था की महिला कार्यकर्ताओं द्वारा सत्त संपर्क कर उन महिलाओं को जागृत किया जो कभी पर्दे से बाहर नही निकली थी। महिलाओं में स्वयं की बचत की आदत क्रियान्वित टांडाखेड़ा में बेबी बचत समूह का गठन किया गया। इस बचत समूह में कुल 10 महिलाऐं है जो कि 30 रू. प्रतिमाह की बचत कर रही है। व अब तक रूपये 3700 की बचत कर चुकी हैं जिसमें दो महिलाऐं विकलांग है। संस्था द्वारा यू तो समूह की सभी महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। परन्तु 2 विकलांग महिलाऐं जो कि हीनभावना की शिकार थी, को थोड़ा ज्यादा प्रोत्साहित कर व बहुत समझाईस के बाद वे समूह की सदस्य बनने को तैयार हुई।

:: 2 ::

इस समूह को आय अर्जन गतिविधि से जोड़ने के उद्देश से ग्राम खरजुनी में भ्रमण करवाया गया जहॉ महिलाओं ने विभिन्न आय अर्जन कार्यो को जाना जिसमें दोनो विकलांग महिलाओं को सिलाई कार्य अपने हिसाब से आसान व रूचिपूर्ण लगा। भ्रमण से लौटने के उपरांत दोनो विकलांग महिलाओं ने संस्था की महिला कार्यकर्ता को आगे बढ़कर सिंलाई कार्य का प्रशिक्षण दिलवाने के लिये आग्रह किया गया।

इन विकलांग महिलाओं में एक महिला के 3 बच्चे थे व चूंकि आदिवासियों में महिला को घर से खेतों तक सभी जगह कार्य करना पड़ता है। अतः विकलांग होने की वजह से प्रत्येक कार्य को करने में ये महिलाऐं असमर्थ थी। इसलिये सिलाई कार्य करना उन्हे उचित लगा।

वर्तमान में सिंलाई द्वारा ये महिलाऐं 300–200 प्रतिमाह लाभ प्राप्त कर रही है। व अपने समूह को सुचारू रूप से चला रही है।

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन

विकास खण्ड – सरादरपुर जिला – धार

सूचना केन्द्र की स्थापना

मिली वाटर शेड सरदारपुर के अंतर्गत संस्था NCHSE के द्वारा जल ग्रहण कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए KPVHA एवं CIDA द्वारा वर्ष 2005 में सरदारपुर विकास खण्ड मं 4 सूचना केन्द्र खोलने हेतु अनुमति दी गई। इस सूचना केन्द्र के अर्न्तगत ग्राम गोविदपुरा, मोरगांव, लेड़गांव, सरदारपुर को जोड़ा गया है। इस सूचना केन्द्र के माध्यम से विकास खण्ड स्तर के ग्रामीणों को स्वयं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। जिसके अन्तर्गत टी. वी. मलेरिया, एड्स, महिलाओ में होने वाले प्रसव, आदि जानकारी एवं प्रस्तको के माध्यम से सहज प्राप्त हो रही है। स्वालम्ब ने साथ–साथ सूचना केन्द्र के माध्यम से पर्यावरण, कृषि, स्वच्छता आदि की जानकारी प्राप्त हो रही है। इस सूचना केन्द्र को मोबाईल सूचना केन्द्र की तर्ज उपयोग किया जा रहा है। जिसमें इसे विभिन्न प्रकार के शासकिय/अशासकिय कार्यक्रमों में प्रदर्शित किया गया है।

ग्राम स्तर पर महिलाओ एवं पुरूषो का भ्रमण इस सूचना केन्द्र पर कराया गया है। सूचना केन्द्र पर समय–समय पर विभिन्न प्रशासकीय अधिकारी एवं ग्रामीण स्वयं से संबंधित जानकारी एवं उसमें आदयक सुधार हेतु अपनी टीप रजिस्टर में अंकित करवाते है।

इस प्रकार सूचना केन्द्र इस क्षेत्र के ग्रामीणों की स्वावलम्ब जागरूकता की कड़ी है।

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन

विकास खण्ड – सरादरपुर जिला – धार

नर्सरी स्वालम्बन समूह

राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रंबधन मिशन सरदारपुर मिली वाटर शेड सरदारपुर डी.पी.ए.पी. 8 वी बैंच के अन्तर्गत माइक्रोवाटर शेड टाण्डाखेड़ा व लेड़गांव में स्व. सहायता समूह द्ववारा नर्सरी की स्थापना 2005 में की गई है। जिसके अन्तर्गत उद्यानिकी एवं वाणीकी प्रजाती के पौधे को तैयार किया गया। नैना बचत समूह के रूप में भी यह स्व. सहायता समूह कार्यरत है, जिसमें माइक्रोवाटर शेड के अन्तर्गत निजी भूमि व ईधन चारागाह विकास कार्य के अन्तर्गत वानीकी के पौधे लगवाने हेतु व निजी भूमि पर मेड व ब्लाक प्लान्टेसन हेतु पौधे की आवश्यकता को देखते हुए स्थापित कि गई थी। जिसके परिणाम स्वरूप टाण्डाखेड़ा स्व. सहायता समूह नर्सरी से नीजी व शासकीय भूमि पर पोध रोपण हेतु 3000 पौधे जल ग्रहण समिति द्ववारा खरीदे गये व गांव मे में विक्रय किये गये जिससे 9000 हजार कमेटी व 6000 हजार रूपये गांव पास के गांव में विक्रय से पौधे से कुल 15000 हजार रूपये की आय 6 माह में प्राप्त हुई। कमेटी द्ववारा सहायता के रूप में 5000 हजार रूपये का ऋण दीया गया था। 35 ऋण को वापस लोटा दिया गया व शेष नेना समूह को 10000 दस हजार रूपये की आय प्राप्त हुई।

इसी प्रकार लेड़गांव स्व. सहायता समूह नर्सरी स्थापित की गई थी। जिसके परिणाम स्वरूप लेड़गांव स्व. सहायता समूह नर्सरी से निजी भूमि व शासकीय भूमि पर प्लान्टेसन हेतु 5115 व निजी रूप से विकृय 3500 पौधे किये जिसकी राशी जलग्रहण समिति द्ववारा 14145 व निजी विक्रय राशी 10500 कुल लाभ राशी 24645 रू. की आय स्व. सहायता समूह हो प्राप्त हुई कुल 6 माह के अन्दर 24645 रू. की आय प्राप्त हुई। स्व. सहायत समूह द्ववारा इस कार्य हेतु बीज व पानी इत्यादी का व्यय 4500 रू. कीया। शेष 20145 रू. शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ।

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन

विकास खण्ड – सरादरपुर जिला – धार

पशुपालन स्वालंबन

राजीव गांधी जल ग्रहण संस्था राष्ट्रीय मानव बसाहट एवं पर्यावरण केन्द्र सरदारपुर के अन्तर्गत डी.पी.ए.पी. 8 बैच के अन्तर्गत आने वाला स्व. सहायता समूह टाण्डाखेड़ा में जल ग्रहण मिशन के अन्तर्गत महिलाओं के स्व. सहायता 4 का निर्माण किया गया है। इनके द्वारा आय अर्जन गतिविधि के कार्य किये जा रहे है। जिसके अन्तर्गत 1 बेबी बचत समूह को ग्रेडिंग द्वारा आय अर्जन से जोड़ा गया है जिसका विवरण इस प्रकार है –

1. गांव का नाम – टाण्डाखेड़ा
2. समूह का नाम – बेबी बचत समूह
3. समूह की बैक – बैक ऑफ महाराष्ट्र, दसाई
4. समूह का खाता नं. – 5355
5. समूह सदस्य – 10
6. समूह की बचत – 5300
7. समूह का लोन – 2 लाख 50 हजार

ग्राम टाण्डाखेड़ा में बैबी बचत में कुल 10 सदस्य है इसमें अध्यक्ष श्रीमती सुमित्राबाई पति प्रकाश ने अपने समूह को एक बहुत ही अच्छा समूह बनाया सुमित्राबाई प्रकाश ने अपनी समूह की बचत समय पर प्रत्येक माह जमा कराने एवं समय पर बैठक लेने व आपसी लेनदेन के कारण समूह की ग्रेडिग होने पर बैंक ने बेबी बचत समूह में पशुपालन के लिये 5 महिला सदस्यों को 2 लाख 50 हजार का लोन लिया गया। 5 महिलाओं ने कुॅऐ के लिये लोन लिया गया इसमें महिलाओं को 10 हजार रूपये सबसेडी है। भैस पालन में महिलाओं को 600 रूपये किस्त बैंक जमा करता है। एक भैस एक दिन का 8 किलो दुध देती है। 10 रू. किलो के हिसाब से एक दिन के 80 रूपये होते है। भैस की खिलाई पीलाई हटाकर कुल राशि जो बचती वह लाभ महिलाओं को मिलता है। इस प्रकार बैबी बचत समूह में महिलाये आपने समूह को एक अलग समूह बनाया गया है। इस समूह को बैंक द्वारा ग्रेडिग में 10 हजार रूपये रिवालिंग फण्ड को दिया गया है। जो महिलाये बारी बारी से अपने कार्य में लगाये गी।

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन

विकास खण्ड – नालछा, जिला – धार

'' स्व सहायता समूहों के माध्यम से आयमूलक गतिविधियॉ''

धार जिले के नालछा विकासखंड में एकीकृत पड़त भूमि कार्यक्रम का कियान्वयन इन्स्टीट्युट फार रिसोर्सेस कजंरवेशन के माध्यम से किया जा रहा है। योजना के कियान्वयन हेतु जिला पंचायत धार द्वारा मार्गदर्शन एवं धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना की स्वीकृति भारत शासन के भू–संधारण विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2002–03 में दी गई है। परियोजना की अवधि 5 वर्षो की है।

परियोजना क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल 5,708 हैक्टेयर है, जिसके अंतर्गत कुल 26 ग्राम आते है। परियोजना क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या का 98 प्रतिशत आदिवासी जनजाति लोगो का है जो कि आर्थिक रूप से बहुत निर्धन है। आदिवासी वर्ग में बचत करने की प्रवत्ति न के बराबर होती है। आवश्यकता पड़ने पर मुख्यरूप से फसल की बुआई के समय, ये लोग खाद बीज के लिए साहुकारों से ऋण प्राप्त करते है। साहुकारों द्वारा परिस्थिति के अनुसार 120 प्रतिशत से लेकर 250 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज की वसूली की जाती है। इस तरह यह वर्ग आर्थिक– शोषण के दुष्चक में फसा रहता है।

परियोजना की कार्य योजना तैयार करते समय पी.आई.ए. के माध्यम से यह ज्ञात हुआ की 80 प्रतिशत से अधिक आदिवासियों का साहुकारों द्वारा आर्थिक शोषण किया जा रहा है। आदिवासियों को न तो बैंकों के बार में ज्ञात था जहॉ पर की खाते खोलकर बचत की जा सके तथा न ही वे उनहे बचत करने के आदी थे। ऐसी परिस्थिति में जनजागृति एवं प्रशिक्षण कार्यकमों के माध्यम से उन्है बचत करने की महत्ता के बारे में बताया गया तथा विशेष रूप से महिलाओं को बचत करने के लिए प्रेरित किया गया। ग्रामों में लगातार बैठके कर प्रशिक्षण के द्वारा उन्है बचत करने की कार्यविधि, हिसाब किताब रखने तथा बैंकों से लेन–देन के प्रति प्रशिक्षित किया गया।

वर्तमान में परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत 26 ग्रामों में कुल 102 बचत समूहों का गठन किया गया, जिसमें से 60 समूह महिलाओं के है। सदस्यों की कुल जनसंख्या 1137 है। इस प्रकार परियोजना क्षेत्र के कुल 3450 परिवारों में से 1137 परिवार बचत समूहों से जुड़े हुए है। परियोजना के प्रारंभ होने से अभी तक की तीन वर्ष की अवधि में इन समूहों द्वारा कुल 4.78 लाख की बचत की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त परियोजना के अंतर्गत गठित चकियऋण फंड से इन्हे एक से अधिक बार ऋण दिया गया है, जिसकी कुल धनराशि रू. 10.40 लाख है। इस तरह इन सदस्यो द्वारा अभीतक कुल 15.18 लाख की धनराशि का लेन–देन किया जा चुका है।

एक ओसत अनुमान के आधार पर यदि यह राशि साहुकारो से ऋण के रूप में प्राप्त की जाती तो उस पर लगभग 7.50 लाख का ब्याज देना पडता।

परियोजना प्रारंभ होने के 2 वर्ष की अवधि में जब बचत समूहो द्वारा बचत के महत्व को स्वीकारा गया फिर उन्हे संस्था द्वारा आयमूलक गतिविधियों के प्रति प्रेरित किया गया । साधारण तौर पर आदिवासी समाज कृषि एवं मजदूरी पर ही निर्भर करता है। उसके लिए आय मूलक गतिविधियां एक कठिन कार्य है। कच्चा माल तैयार करना एवं विपणन करना लगभग असंभव होता है परंतु जब उन्हौने दो वर्ष तक बचत करने के लाभ को अनुभव किया तो उन्है आय मूलक गतिविधिया के प्रति प्रेरित करना आवास हो गया। इस संबध में ऐसी गतिविधियों का चयन किया गया जिन्है वे आसानी से चला सके।

वस्त्र सिलाई :—

ग्राम कागदीपुरा, जीरापुरा, शिकारपुरा, कोठीसोडपुर, कांकलपुरा, सोडपुर, मेहंदीखेड़ा की कुल 20 महिलाओं को 6—6 सप्ताह की अवधि का सिलाई का प्रशिक्षण दिया गया। तत्पश्चात उनमें से 4 महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से ऋण लेकर तथा शेष 16 महिलाओं द्वारा स्वयं के साधनों से सिलाई मशीन क्रय तथा सिलाई का कार्य अपने—अपने ग्रामों में प्रांरभ किया। ये महिलाऍ ब्लाउज, पेटीकोट, फ्राक एवं सलवार सूट सिलाई करती है, जिसके एजव में उन्है ग्राहकों से सिलाई की राशि प्राप्त होती है।

श्रीमती लीलाबाई ग्राम शिकारपुरा द्वारा माह फरवरी 2005 में सिलाई का कार्य प्रारंभ किया गया। माह दिसबंर 2005 तक कुल रु. 6600/— की आय अर्जित की। इस तरह ग्राम कोठीसोडपुर की अनिता द्वारा कुल रु. 7200/— , ग्राम जीरापुरा की तेजुबाई कैलाश द्वारा रु. 5500/— एवं ग्राम कांकलपुरा की गेंदाबाई द्वारा कुल रु. 5700/— की आय अर्जित की गई है। इस तरह सभी प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा प्रतिमाह कुल रु. 600—700 की आय अर्जित की जाती है।

मंगलश्री स्व–सहायता समूह

विकासखण्ड–नालछा अंतर्गत ग्राम मियांपुरा, जहां सभी परिवार आदिवासी समूह (पटल्या एवं भील) हैं । इस ग्राम में एकीकृत बाल विकास परियोजना, नालछा की पर्यवेक्षक श्रीमती सेलिना मिंज की प्रेरणा स्वरूप मंगलश्री स्वसहायता समूह का गठन दिनांक 21.10.2000 में किया गया ।

इस समूह में 10 सदस्य है, जो सभी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाएं है । समूह की सभी महिलाओं ने 100/– रूपये प्रतिमाह प्रतिसदस्य जमा करने का निर्णय लिया । प्रथम व द्वितीय ग्रेड्रिंग उत्तीर्ण इस समूह द्वारा पूर्व में समूह की बचत से समूह सदस्यों की छोटी–छोटी जरूरतों की पूर्ति हेतु जैसे–शादी–ब्याह, कृषि कार्य, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में ऋण उपलब्ध कराता है, जिसे सदस्य समूह द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर लौटा देते है ।

वर्तमान में आंगनवाड़ियों हेतु दलिया निर्माण स्व–सहायता समूहों के माध्यम से हो, म0प्र0 शासन द्वारा लिये गये इस निर्णय पश्चात् नालछा विकासखण्ड के अंतर्गत इस समूह का चयन वर्ष 2004 में किया गया । इस समूह को विकासखण्ड के अन्य छः समूहों से इंटरलोनिंग के द्वारा राशि रू0 60,000/– प्राप्त हुई, साथ ही स्वयं की बचत को मिलाते हुए इन्होनें प्रारम्भ में 55 आंगनवाड़ियों हेतु पोषण आहार बनाने का कार्य हाथ में लिया । इस समूह के सभी सदस्यों द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि प्रारंभिक वर्षों में मजदूरी के अतिरिक्त प्राप्त लाभांश को वे इसी कार्य हेतु लगायेंगे ।

वर्तमान स्थिति –

आज की स्थिति में समूह के पास दो लाख रूपये की स्वयं की राशि उपलब्ध है एवं प्रत्येक सदस्य को लाभांश के रूप में 1000/–रूपये प्रति लॉट (मजदूरी के अतिरिक्त) मिल जाता है साथ ही पूर्व में लिये गये ऋण रूपये 50,000/– एवं इंटरलोनिंग की राशि रूपये 60,000/– भी बैंक को ब्याज सहित पुर्नभुगतान कर दिये गये हैं ।

आज समूह सुदृढ़ स्थिति में है एवं परियोजनान्तर्गत 77 आंगनवाड़ी केन्द्रों को दलिया (पोषण आहार) की आपूर्ति कर रहा है ।

प्रति सदस्य – मजदूरी लगभग 1000/– रूपये

प्रति लाट – लाभांश 1000/– रूपये

–0–